

कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई:-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/
सेवा में, 18352

देहरादून: दिनांक 18 जुलाई, 2024

नोडल अधिकारी,
आई0टी0सैल,
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में निहित प्राविधानों के अनुसार दन्त संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यक, एवं अधिसंख्यक, दन्त शल्यक एवं डेन्टल हाईजिनिस्टों के सुगम से दुर्गम, दुर्गम से सुगम एवं निजी अनुरोध की पात्रता सूची के अनुसार किये गये स्थानान्तरण को विभागीय वैबसाईट पर प्रदर्शित करने विषयक।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या दिनांक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-06 एवं कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-30/XXX-2/2018-30(13)/2017, दिनांक 06.02.2018 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में विभागाध्यक्ष/महानिदेशालय स्तर पर किये जाने वाले विभिन्न संवर्गों के कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु स्थानान्तरण समिति गठित की गई थी।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 06.07.2024 को वार्षिक स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशक महोदया की अध्यक्षता में स्थानान्तरण समिति की बैठक आहूत की गई जिसमें दन्त संवर्ग के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्ट के सुगम से दुर्गम-01, दुर्गम से सुगम-01 तथा निजी अनुरोध हेतु 02 (कुल 04) की संस्तुति प्रदान की गई। तथा दन्त संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यक, एवं अधिसंख्यक, दन्त शल्यक के सुगम से दुर्गम-02, दुर्गम से सुगम-02 तथा निजी अनुरोध - 07, कुल (11) दन्त शल्यकों का स्थानान्तरण की संस्तुति दी गई।

अतः आपसे अनुरोध है कि स्थानान्तरण सत्र 2024-25 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत दन्त संवर्ग के अन्तर्गत डेन्टल हाईजिनिस्टों के कुल (04) एवं दन्त संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड दन्त शल्यक एवं अधिसंख्यक, दन्त शल्यक कुल (11) स्थानान्तरणों के आदेश संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि विभागीय वैबसाईट पर समस्त सूचना को प्रदर्शित करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय

(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई:-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608748
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/ देहरादून: दिनांक 15 जुलाई, 2024

:-आदेश:-

शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/e-33080 दिनांक 28 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्री तौफिक अहमद	सामु0स्वा0केन्द्र मंगलौर, हरिद्वार	जिला चिकित्सालय पौड़ी	जनहित, जिला चिकित्सालय पौड़ी, पी0पी0मोड से मुक्त होने के उपरान्त स्थानान्तरण आदेश प्रमावी होगा।


- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0शासन देहरादून।
- 2-निदेशक, चिकित्सा स्वा0एवंप0क0, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3-सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक _____।
- 4-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- 5-सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियंत्रक अधिकारी।
- 6-आई0टी0सैल।
- 7-गार्ड फाईल।

(तारा आर्या)
महानिदेशक
तददिनांकित।


(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक (दन्त)

**कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फैक्स 0135-2608746

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

देहरादून: दिनांक 15 जुलाई, 2024

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/e-33080 दिनांक 28 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्री रमेश रावत	सामु0 स्वा0केन्द्र पोखरी, चमोली	सामु0 स्वा0केन्द्र लक्सर, हरिद्वार	जनहित

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- जनहित पर स्थानान्तरित कार्मिक को स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।


पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0शासन देहरादून।
- 2-निदेशक, चिकित्सा स्वा0एवंप0क0, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3-सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक _____।
- 4-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- 5-सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6-आई0टी0सैल।
- 7-गार्ड फाईल।

18303

(तारा आर्या)
महानिदेशक
तददिनांकित।


(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

देहरादून: दिनांक 17 जुलाई, 2024

:-आदेश:-

शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/e-33080 दिनांक 28 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्री संजय सिंह	सामु0स्वा0 केन्द्र सहसपुर, देहरादून	सामु0 स्वा0केन्द्र नौगांव, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतिका किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0शासन देहरादून।
- 2-निदेशक, चिकित्सा स्वा0एवंप0क0, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3-सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक _____।
- 4-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- 5-सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6-आई0टी0सैल।
- 7-गार्ड फाईल।

(तारा आर्या)
महानिदेशक
तददिनांकित।



(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक (दन्त)

कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई-दूरभाष 0135-2608763, फ़ैक्स 0135-2608746
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

देहरादून: दिनांक 5 जुलाई, 2024

—:आदेश:—

शासनादेश संख्या- 221278/xxx(2)/2024/e-33080 दिनांक 28 जून, 2024 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार विभागीय स्तर पर स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानिदेशालय स्तर में गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित डेन्टल हाईजिनिस्ट पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम-03 में उल्लिखित वर्तमान तैनाती के स्थान से कॉलम-04 में उल्लिखित नई तैनाती के स्थान पर जनहित पर तत्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है:-

क्र0स0	कार्मिक का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05
1	श्रीमती आशा कौर	सामु0स्वा0केन्द्र जोशीमठ, चमोली	सामु0स्वा0केन्द्र सहसपुर, देहरादून	निजी अनुरोध

- नियंत्रक अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक को उसके आदेश प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार से मुक्त/ग्रहण कराते हुए प्रभार प्रमाण पत्र सभी सम्बन्धितों को उपलब्ध कराये जायें। निर्धारित समयावधि में अवमुक्त न किया जाना अनुशासनहीनता मानी जायेगी तथा अनुपालन न करने वाले सम्बन्धित अधिकारी की चरित्र पंजिका में तदनुसार प्रतिकूल प्रविष्टि करते हुए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- उक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी भी कार्मिक का प्रत्यावेदन महानिदेशालय को अग्रसारित न किया जाये व न ही कार्मिक को अवकाश स्वीकृत किया जाये।
- स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा उपरोक्त स्थानान्तरण के विरुद्ध किसी प्रकार का प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाव अपने स्वयं के या किसी अन्य माध्यम से डलवाने पर उसके विरुद्ध कर्मचारी आचरण नियमावली-2003 के अनुसार निलम्बन आदि की कार्यवाही की जा सकती है।
- सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरित किये गये कार्मिक द्वारा कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में उनके वेतन वृद्धि रोक दी जायेगी तथा 02 वर्षों तक पदोन्नति से वंचित रखा जायेगा साथ ही अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- निजी अनुरोध पर स्थानान्तरित कार्मिक को किसी भी प्रकार का स्थानान्तरण यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- उपरोक्त निर्धारित अवधि के पश्चात् का वेतन सम्बन्धित कार्मिक के नई तैनाती स्थान से आहरित किया जायेगा।

पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0शासन देहरादून।
- 2- निदेशक, चिकित्सा स्वा0 एवं प0क0, गढवाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल।
- 3-सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख /मुख्य चिकित्सा अधीक्षक _____।
- 4-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- 5-सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6-आई0टी0सैल।
- 7-गार्ड फाईल।

(तारा आर्या)
महानिदेशक
तददिनांकित।



(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक (दन्त)

**कार्यालय महानदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
डाण्डा लखोण्ड, पो0ओ0 गुजराड़ा, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून।**

ई-मेल dghealth.uttarakhand@gmail.com ई-दूरभाष 0135-2808763, फ़ैक्स 0135-2808748
पत्र संख्या- 2प/रा0दन्त/18/2024/. देहरादून: दिनांक 1 जुलाई, 2024

—:आदेश:—

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानों तथा कार्मिक विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-221278/XXX(2)/2024/e-33080 दिनांक 28 जून, 2024 के क्रम में स्थानान्तरण सत्र 2024-25 हेतु महानदेशालय स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति द्वारा दिये गये अनुमोदन के क्रम में निम्नलिखित साधारण ग्रेड दन्त शल्यक समूह "ख" के संवर्ग के पदधारक को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या-04 से कॉलम संख्या-05 में उल्लिखित नई तैनाती पर तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0स0	दन्त शल्यक का नाम	पद नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नई तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06
1	डा0 रवि भट्ट	दन्त शल्यक	सामु0स्वा0केन्द्र किच्छा, ऊधम सिंह नगर	जिला चिकित्सालय चम्पावत (वरिष्ठ दन्त शल्यक के रिक्त पद के सापेक्ष)	(जनहित)
2	डा0 दीपिका सिंह	दन्त शल्यक	सामु0स्वा0केन्द्र भगवानपुर हरिद्वार	संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर (वरिष्ठ दन्त शल्यक के रिक्त पद के सापेक्ष)	(जनहित)
3	डा0 श्रुति सिंह	दन्त शल्यक	सामु0स्वा0केन्द्र नन्दानगर घाट, चमोली	सामु0स्वा0केन्द्र भगवानपुर, हरिद्वार	(जनहित)
4	डा0 शिखा गोयल भट्ट	दन्त शल्यक	सामु0स्वा0केन्द्र सुयालबाड़ी, नैनीताल	सामु0स्वा0केन्द्र किच्छा, ऊधम सिंह नगर	(जनहित)
5	डा0 कृतिका अवस्थी	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	रा0एलै0चि0सिंघाली, पिथौरागढ़	अधीन, मुख्य चिकित्साधिकारी चम्पावत (दुर्गम)	(निजी अनुरोध)
6	डा0 शालिनी राणा	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	प्रा0स्वा0 केन्द्र टाईप-ए मेघधार, टिहरी गढ़वाल	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र टाईप-बी, डुण्डा, जिला-उत्तरकाशी	(निजी अनुरोध)
7	डा0 नितिका चौधरी	दन्त शल्यक	सामु0स्वा0केन्द्र नौगांव खाल, पौड़ी	अधीन, मुख्य चिकित्साधिकारी देहरादून	(निजी अनुरोध)

8	डा०शाहिद हुसैन	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	प्रा०स्वा०केन्द्र उधमस्थल, बागेश्वर	अधीन, मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल (दुर्गम)	(निजी अनुरोध)
9	डा० अपूर्वा तोमर	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	रा०एलौ०चि०ठेला, टिहरी गढ़वाल	अधीन, मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी (दुर्गम)	(निजी अनुरोध)
10	डा० दीप्ती रावत	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	रा०एलौ०चि०रवाईखाल, बागेश्वर	अधीन, मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल (दुर्गम)	(निजी अनुरोध)
11	डा० अनिल बिष्ट	दन्त शल्यक (अधिसंख्यक)	प्रा०स्वा०केन्द्र टाईप-ए भट्टीसेरा, पौड़ी गढ़वाल	संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर	(निजी अनुरोध)

उपरोक्त स्थानान्तरित दन्त शल्यकों को वार्षिक स्थानान्तरण धारा-23 में निर्धारित समय सारणी अनुसार नवीन तैनाती स्थान हेतु कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करायें।

(तारा आर्या)
महानिदेशक
तददिनांकित।

पत्र संख्या- 2प/रा०दन्त/18/2024/

18309

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-सचिव चिकित्सा स्वा० एवं प०क०शासन देहरादून।
- 2-निदेशक, चिकित्सा स्वा०एवंप०क०, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
- 3-सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा अधिकारी/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक _____।
- 4-सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी अधिकारी।
- 5-सम्बन्धित दन्त शल्यक द्वारा नियन्त्रक अधिकारी।
- 6-आई०टी०सैल।
- 7-गार्ड फाईल।

(मुकेश त्यागी)
संयुक्त निदेशक(दन्त)